

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 863/2019

अनवान : –

1. अमित मुदगल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. प्रभुराम पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. आदुराम पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. मुकनाराम पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. सन्तोष पत्नी जोराराम जाति रायका निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्री जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. भोपालराम पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. जयलाल पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. सुखराम पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
11. दानाराम पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
12. मदनलाल पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
13. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर तहसील रावतसर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 06/02/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 737/622 के ख0न0 198 की 6.0450 हैक्ट, ख0न0 218 की 0.4420 हैक्ट कुल 6.4870 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है इसलिए हक हिस्सा व कब्जा कास्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 737/622 के ख0न0 198 की 6.0450 हैक्ट, ख0न0 218 की 0.4420 हैक्ट कुल 6.4870 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।



Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स० 25 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स० 737/622 के ख०न० 198 की 6.0450 हैक्ट, ख०न० 218 की 0.4420 हैक्ट कुल 6.4870 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. अमितमुदगल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिम्मा— पूर्ण जाति— ब्राह्मण सा. नोहर खातेदार, राहिन हिम्मा—पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सेक्टर न० 5 नोहर — ग्राम कानसर खसरा न. 198 की 2.015 है., खसरा न. 218 की 0.147 है. कुल खसरे—2 कुल रकबा—2.162 है. बा
2. अनिता पुत्री भोपालाराम हिम्मा— 1121/21620 जाति— राईका सा. देह खातेदार, नारायण पुत्र भोपालाराम हिस्सा 1121/21620 जाति— राईका सा. देह खातेदार, सीता पत्नि भोपालाराम हिस्सा 1121/21620 जाति— राईका सा. देह खातेदार, जयलाल पुत्र जोराराम हिम्मा— 3364/21620 जाति राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा—3364/21620 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, दानाराम पुत्र जोराराम हिस्सा 3363/21620 जाति— राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा—3363/21620 (पूर्ण खाता) एडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, मदनलाल पुत्र जोराराम हिस्सा— 3363/21620 जाति— राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा—3363/21620 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, विनोद पुत्री जोराराम हिम्मा— 2402/21620 जाति राईका सा. देह खातेदार, सुखराम पुत्र जोराराम हिस्सा—3363/21620 जाति— राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा—3363/21620 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, सन्तोष पत्नि जोराराम हिस्सा— 2402/21620 जाति— राईका सा. देह खातेदार राहिन हिम्मा—2402/21620 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर — ग्राम कानसर खसरा न. 198 की 2.015 है. खसरा न. 218 की 0.1472 कुल खसरे—2 कुल रकबा —2.162 है.बा
3. आदुराम पुत्र हजारीराम हिस्सा—1/5 जाति— राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा—1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरमसर, प्रभुराम पुत्र हजारीराम हिस्सा— 1/5 जाति— राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा—1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट

बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरमसर, मुकनाराम पुत्र हजारीराम हिस्सा 1/5 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरमसर, रामचन्द्र पुत्र हजारीराम हिस्सा- 1/5 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरमसर, हरीराम पुत्र हजारीराम हिस्सा 1/5 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा न्योलखी (9 केकेएम) - ग्राम कानसर खसरा न. 198 की 2. 015 है., खसरा न. 218 की 0.148 है. कुल खसरे-2 कुल रकबा -2.163 है. बा

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...06/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 863/2019

अनवान : -

1. अमित मुदगल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. प्रभुराम पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. आदुराम पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. मुकनाराम पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र हजारीराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. सन्तोष पत्नी जोराराम जाति रायका निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्री जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. भोपालराम पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. जयलाल पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. सुखराम पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
11. दानाराम पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
12. मदनलाल पुत्र जोराराम जाति रायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
13. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
14. बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर तहसील रावतसर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 863 सन 2019 निर्णय दिनांक 06/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 737/622 के ख0न0 198 की 6.0450 हैक्ट, ख0न0 218 की 0.4420 हैक्ट कुल 6.4870 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. अमितमुदगल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिम्मा- पूर्ण जाति- ब्राह्मण सा. नोहर खातेदार, राहिन हिम्सा-पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सेक्टर न0 5 नोहर - ग्राम कानसर खसरा न. 198 की 2.015 है., खसरा न. 218 की 0.147 है. कुल खसरे-2 कुल रकबा-2.162 है. बा
2. अनिता पुत्री भोपालाराम हिम्मा- 1121/21620 जाति- राईका सा. देह खातेदार, नारायण पुत्र भोपालाराम हिस्सा 1121/21620 जाति- राईका सा. देह खातेदार, सीता पत्नि भोपालाराम हिस्सा 1121/21620 जाति- राईका सा. देह खातेदार, जयलाल पुत्र जोराराम हिम्मा- 3364/21620 जाति राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-3364/21620 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, दानाराम पुत्र जोराराम हिस्सा 3363/21620 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-3363/21620 (पूर्ण खाता) एडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, मदनलाल पुत्र जोराराम हिस्सा- 3363/21620 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-3363/21620 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, विनोद पुत्री जोराराम हिम्मा- 2402/21620 जाति राईका सा. देह खातेदार, सुखराम पुत्र जोराराम हिस्सा-3363/21620 जाति- राईका सा. देह


Rahul उपखण्ड अधिकारी

खातेदार राहिन हिस्सा-3363/21620 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर, सन्तोष पत्नि जोराराम हिस्सा- 2402/21620 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-2402/21620 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर - ग्राम कानसर खसरा न. 198 की 2.015 है. खसरा न. 218 की 0.1472 कुल खसरे-2 कुल रकबा -2.162 है.बा

3. आदुराम पुत्र हजारीराम हिस्सा-1/5 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरमसर, प्रभुराम पुत्र हजारीराम हिस्सा- 1/5 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरमसर, मुकनाराम पुत्र हजारीराम हिस्सा 1/5 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरमसर, रामचन्द्र पुत्र हजारीराम हिस्सा- 1/5 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बरमसर, हराराम पुत्र हजारीराम हिस्सा 1/5 जाति- राईका सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा न्योलखी (9 केकेएम) - ग्राम कानसर खसरा न. 198 की 2.015 है., खसरा न. 218 की 0.148 है. कुल खसरे-2 कुल रकबा -2.163 है. बा

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक ...06/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर